

neeraj/narang



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश

पत्रांक 9217 वाद संख्या सी-0847 एस-1/2023

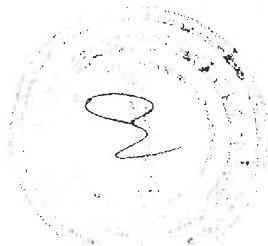
दिनांक 12/8/2024

श्री नीरज कुमार नारंग,
निकट- कारगी चौक, जाट
महासभा के पास, हरिद्वार
वाईपास रोड, देहरादून।

उपरोक्त स्थल पर आपके द्वारा बिना स्वीकृति के निर्माण करने पर उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) की धारा 27 (1) अधीन नोटिस जो कि आप द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा (14) में वर्णित आज्ञा /अनुज्ञा/स्वीकृति किये बिना या प्राप्त/ अनुज्ञा/स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन कर लगभग 30 गुणा 10 फीट के क्षेत्र में भूतल पर दीवार लगाकर टिन सैड डाला गया है एवं स्थल पर धर्मकाटा कर संचालन एवं निर्माण करने के कारण वाद संख्या सी-0847/एस-1/2023 योजित हुआ। जिसका नोटिस स्थल पर दिनांक 16.08.2023 को प्राप्त किया गया। नियत तिथि पर श्री सूर्यकान्त उपस्थित हुए और इनके द्वारा बताया गया कि यह अस्थाई निर्माण है। दिनांक 04.09.2023 की सुनवाई के दौरान श्री सूर्यकान्त द्वारा अस्थाई निर्माण को हटाने के लिए समय मांगा गया। परन्तु आपके द्वारा अस्थाई टिन सैड को हटाने सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 11.09.2023, 04.12.2023, 15.01.2024 एवं 04.03.2024 की सुनवाई के नोटिस दिये जाने के बावजूद आप उपस्थित नहीं हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको निर्माण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है या जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं जो न्यायहित में नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुद्धा निर्माण के सीलिंग के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

नीरज



आदेश

विपक्षी श्री नीरज कुमार नारंग, निकट- कारगी चौक, जाट महासभा के पास, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृति के निर्माण करने पर उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) की धारा 27 (1) अधीन नोटिस जो कि आप द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा (14) में वर्णित आज्ञा / अनुज्ञा / स्वीकृति किये बिना या प्राप्त / अनुज्ञा / स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन कर लगभग 30 गुणा 10 फीट के क्षेत्र में भूतल पर दीवार लगाकर टिन सैड डाला गया है एवं स्थल पर धर्मकांटा कर संचालान एवं निर्माण करने के कारण वाद संख्या सी-0847/एस-1/2023 योजित हुआ। जिसका नोटिस स्थल पर दिनांक 16.08.2023 को प्राप्त किया गया। नियत तिथि पर श्री सूर्यकान्त उपस्थित हुए और इनके द्वारा बताया गया कि यह अस्थाई निर्माण है। दिनांक 04.09.2023 की सुनवाई के दौरान श्री सूर्यकान्त द्वारा अस्थाई निर्माण को हटाने के लिए समय मांगा गया। परन्तु आपके द्वारा अस्थाई टिन सैड को हटाने सम्बन्धी कोई भी फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया। विपक्षी को दिनांक 11.09.2023, 04.12.2023, 15.01.2024 एवं 04.03.2024 की तिथियों सुनवाई का अवसर दिया गया। परन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में निर्माण पर अकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चालानशुद्धा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सीलिंग के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.03.2024 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

Handwritten signature

अधिशायी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून

प्रतिलिपि- 1-जिलाधिकारी महोदय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि को उक्त कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने कृपा करें।

2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



Handwritten signature

अधिशायी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून